संख्या– 104/XXII/2007–2(3)2007

प्रेषक,

एस. एस. वल्दिया,
उपसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग :

देहरादून: दिनांक 23 अप्रैल, 2007

विषय:– वित्तीय वर्ष 2007–08 में अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या– 255/XXVII(1)/2007 दिनांक 26.3.2007, शासनादेश संख्या– 77/XXII/2007–2 (3) 2007, दिनांक 4.4.2007 तथा सूचना निदेशालय के पत्र संख्या– 601/सू.एवं लो.सं.वि.(लेखा)/बजट आवंटन /2007–08, दिनांक 9 .4.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 के अवचनबद्ध मदों में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक– 2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष में रू. 31297 हजार (रुपये तीन करोड़ बारह लाख सतानबे हजार मात्र) ,व्यय करने हेतु निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने, की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि रू. हजार में)

लेखाशीर्षक/उपलेखाशीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि	
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2220–सूचना तथा प्रचार 01–फिल्म– 105–फिल्मों का निर्माण 03– अधिष्ठान	08–कार्यालय व्यय 31–सामग्री और सम्पूर्ति	– –	3 2333
	योग–	–	2336
2220– सूचना तथा प्रचार 60– अन्य 001– निदेशन तथा प्रशासन 03–अधिष्ठान	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय 08–कार्यालय व्यय 11– लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई 12– कार्यालय फर्नीचर और उपकरण 17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व 22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि 45– अवकाश यात्रा व्यय 46– कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय 47–कंप्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	– – – – – – – – –	50 333 133 67 333 1167 83 67 100
	योग–	–	2333
2220– सूचना तथा प्रचार 60– अन्य 101–विज्ञापन तथा दृश्यप्रचार 05–अधिष्ठान	08– कार्यालय व्यय 19– विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	– –	33 23333
	योग–	–	23366
2220– सूचना तथा प्रचार 60– अन्य 102–सूचना केन्द्र 03–सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय 08–कार्यालय व्यय 11– लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई 17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व 45– अवकाश यात्रा व्यय	– – – – –	17 50 17 17 20

	46– कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय 47– कंप्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	– –	17 7
	योग–	–	145
2220– सूचना तथा प्रचार 60– अन्य 103– प्रेस सूचना सेवायें 04– पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	–	150
	योग–	–	150
2220– सूचना तथा प्रचार 60– अन्य 103– प्रेस सूचना सेवायें 05– टेलीप्रिन्टर योजना	42– अन्य व्यय	–	733
	योग–		733
2220– सूचना तथा प्रचार 60– अन्य 106– क्षेत्र प्रचार 03– अधिष्ठान	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय 08–कार्यालय व्यय 11– लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई 17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व 45– अवकाश यात्रा व्यय	– – – – –	33 67 50 50 83
	योग–		283
2220– सूचना तथा प्रचार 60– अन्य 109– फोटो सेवायें 03– अधिष्ठान	08–कार्यालय व्यय 31–सामग्री और सम्पूर्ति	– –	17 267
	योग–	–	284
2220– सूचना तथा प्रचार 60– अन्य 110–प्रकाशन 03– अधिष्ठान	08– कार्यालय व्यय 18– प्रकाशन	– –	67 1000
	योग–	–	1067
2220– सूचना तथा प्रचार 60– अन्य 800–अन्य व्यय 03–स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस संबंधी (उत्तराखण्ड सचिवालय को छोड़कर) उत्सवों आदि पर व्यय	42– अन्य व्यय	–	600
	योग–	–	600
	कुल योग–	–	31297

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसी व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के आधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये।

3– उपकरणों आदि का क्रय डी. जी. एस. एण्ड डी. की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

4–कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय किये जाते समय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा– निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा।

5–धनराशि उसी मद में व्यय किया जाये जिसके लिये स्वीकृत की जा रही हो। व्यय में मितव्यता के सम्बध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

6–इस संबंध में होने वाला व्यय वितीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2220– सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत उपरोक्त लेखाशीर्षकों/ मानक मदों के नामें डाला जायेगा ।

7–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा.प.सं. 437/ XXVII(5)/ 2007 दिनांक 18 अप्रैल, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या–104/ XXII/2007–2(3)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– मुख्य कोषाधिकारी,देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0,देहरादून सचिवालय।
8– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव